न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया (गिरिडीह)

वाद संख्या– 129/2025 (भा0ना0सु0सं0 की धारा 163)

तालेश्वर महतो ------------------------------- प्रथम पक्ष

बनाम्

क्यूम अंसारी ------------------------------- द्वितीय पक्ष

आदेश

17-10-25	उभय पक्ष द्वारा दाखिल कारण पृच्छा का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने, उभय पक्ष द्वारा दाखिल राजस्व दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन एवं मूल्यांकन करने, अंचल अधिकारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने, थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने के उपरान्त मै इस निष्कर्ष पर पहुँचता हुँ कि उभय पक्ष के मध्य भू-विवाद विद्यमान है। उक्त विवाद में प्रथम पक्ष बन्दोबस्ती परवाना के जरिए तथा द्वितीय पक्ष हुकुमनामा बन्दोबस्ती के जरिए वादग्रस्त भूमि पर अपना–अपना दावा करते है। वादग्रस्त भूमि का सर्वे रकबा 8.30 एकड़ है। उक्त रकबा के 0.20 एकड़ भूमि पर प्रथम पक्ष तथा 3.00 एकड़ भूमि पर द्वितीय पक्ष अपना दावा करते है। सुनवाई से ऐसा प्रतीत होता है कि उभय पक्ष के मध्य भूमि के सीमांकन (Demarcation) को लेकर संशय एवं तनाव व्याप्त है। चुँकि भूमि का कुल रकबा उभय पक्ष को बन्दोबस्त किए रकबे से अधिक है अत: यदि उभय पक्ष की जमाबन्दी वैध (Valid) है तो विधिसम्मत प्रक्रिया से सीमांकन करने से इस विवाद का समाधान हो सकता है। विवाद के वर्त्तमान स्वरूप में किसी पक्ष के हित में या किसी पक्ष के विरूद्ध कोई आदेश पारित करना संभव नहीं है। चुँकि भूमि गैरमजरूआ खाते की है अत: अंचल अधिकारी, सरिया को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त दोनों जमाबन्दी की वैधता की सुक्ष्मता से जाँच सुनिश्चित करेंगे तथा वैध पाए जाने की स्थिति में उभय पक्ष के भूमि का विधिसम्मत तथा विहित प्रक्रिया से सीमांकन सुनिश्चित करेंगे। सीमांकन हेतु उभय पक्ष विधिवत

[Case No. 129/2025
163 BNSS]

17/10/25	आवेदन भी अंचल अधिकारी, सरिया को प्रस्तुत करेंगे। उक्त आदेश के साथ ही वाद की कार्यवाई समाप्त घोषित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष तथा अंचल अधिकारी, सरिया को अनुपालन हेतु भेंजे। लेखापित एवं संशोधित 17/10/25 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया 17/10/25 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर-सरिया Digitally signed by localhost Date: 2025.12.09 12:36:51 +05:30 Location: 192.168.1.3	